FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** जबलपुर **P.S. (थाना):** भेड़ा घाट

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0368 **Year (वर्ष):** 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 07/09/2025 23:48 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन | **Date From (दिनांक से):** 16/07/2025 | **Date To (दिनांक तक):** 07/08/2025

Time Period (समय अवधि): | **Time From (समय से):** 00:00 बजे | **Time To (समय तक):** 23:59 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/09/2025 **Time (समय):** 23:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 051 **Date & Time (दिनांक और समय):** 07/09/2025 23:48

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

Scanned with OKEN Scanner

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 06 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): 64 एम0एल0टी0 वेयर हाउस,मजीठा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): रवि कुमार आम्रवंशी
(b) Father's Name (पिता का नाम) : श्री गोकुल प्रसाद आम्रवंशी
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1974 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सहायक संचालक कृषि ,जिला जबलपुर ,ओमती,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	सहायक संचालक कृषि ,जिला जबलपुर ,ओमती,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):
(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-9993694209

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	कमल सिंह ठाकुर /Kamal singh		पिता का नाम : छोटे सिंह ठाकुर	1. ग्राम बेलखेडी ,बेलखेड़ा, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

Scanned with OKEN Scanner

	thakur			
2	राजपाल सिंह /Rajpal singh		पिता का नाम : युवराज सिंह	1. ग्राम मैंगांव ,बेलखेड़ा,जबलपुर, मध्य प्रदेश,भारत
3	दीपेन्द्र सिंह ठाकुर /Deependra singh Thakur			1. गुटई मनकेडी ,बेलखेड़ा, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
4	अजय तिवारी /Ajay Tiwari			1. प्रभारी शाखा प्रबंधक जिला सह0,केन्द्रीय बैंक मर्या0 शहपुरा ,शहपुरा,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत
5	अंकित उर्फ राजशेखर/Ankit urf Rajshekhar		पिता का नाम : राजेश सिंह	1. ग्राम बेलखेड़ा ,बेलखेड़ा, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
6	शंभु ठाकुर /Shambhu thakur		पिता का नाम : संजय सिंह	1. हिनोता ,कटंगी,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
7	बिन्दु राय उर्फ अरविन्द राय /Bindu ray urf arvind		पिता का नाम : प्रीतम राय	1. ग्राम भैरोघाट पिपरिया,बेलखेड़ा, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
8	रोहित यादव /Rohit Yadav		पिता का नाम : बाबू लाल यादव	1. कोनीकला ,पाटन,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
9	देवेन्द्र यादव /Devendra Yadav		पिता का नाम : अशोक कुमार यादव	1. ग्राम बिरहनी ,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

Scanned with OKEN Scanner

10	आदेश तिवारी /Aadesh Tiwari		पिता का नाम : मोहन लाल तिवारी	1. ग्राम मजीठा ,भेड़ा घाट, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

आवेदन पत्र पर से

9. **Particulars of properties of interest** (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)**-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents** (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हूँ। कार्यालय कलेक्टयर के आदेश क्रमांक/उपार्जन/2025-26/2010 दिनांक 08/08/2025 द्वारा SDM शहपुरा की अध्यीक्षता में जिला स्त रीय जांच दल का गठन किया गया था जो जांच दल द्वारा जांच पर पाया गया कि समिति प्रबंधक कमल सिंह ठाकुर,कम्युरीय टर ऑपरेटर राजपाल सिंह एवं अतिरिक्त ऑपरेटर दीपेन्द्रय सिंह ठाकुर,प्रभारी शाखा प्रबंधक,जिला सहकारी केन्द्री य बैंक मर्या. शहपुरा शाखा अजय तिवारी, अंकित सिंह उर्फ राजशेखर,शंभुठाकुर,बिन्दुर राय,सर्वेयर रोहित यादव एवं देवेन्द्रक यादव तथा एमएलटी वेयरहाउस मजीठा के संचालक आदेश तिवारी द्वारा किसानो एवं प्रशासन को आर्थिक क्षति पंहुचाने के आशय से षडयंत्रपूर्वक योजना बनाकर अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मूंग (1934 क्वि. राशि 16790988/-रू.), उड़द (253 क्वि.राशि 1872200/-रू.)कुल मूंग एवं उड़द (2187 क्वि.कुल राशि 18663188/-रू) की ज्यादा इन्ट्री करना पाया गया जिससे शासन को वित्तीय क्षति हुई है। उक्त आरोपीगणो के विरुद्ध कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी भेड़ाघाट को प्रतिवेदन क्र./उपार्जन/2025-26/2610 जबलपुर दि. 07/09/25 पेश कर रहा हूँ,कार्यवाही की जाये। प्रस्तुत प्रतिवेदन पत्र मैं लिखित विवरण इस प्रकार है कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कलेक्ट्रेट परिसर जबलपुर क्र. /उपार्जन/2025-26/2610 जबलपुर दिनांक 07/09/25 प्रति,थाना प्रभारी महोदय. थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर विषय:-64 एम.एल.टी. वेयर हाउस मजीठा में मूंग एवं उड़द उपार्जन कार्य में अनियमितता की जांच प्रतिवेदन के आधार पर एफ.आई.आर.दर्ज करने वावत्‌।संदर्भ:-कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला जबलपुर का पत्र क्रमांक/उपार्जन/2025-26/2606-07 जबलपुर दिनांक 05.09.2025 के पालन में। विषयांतर्गत लेख है कि मैं कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हूँ। इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत जिला जबलपुर के अन्तर्गत संचालित समस्त उपार्जन समितियों द्वारा मूंग,उड़द उपार्जन के नोडल अधिकारी के सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। मध्यर प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD (611368)/1927 भोपाल दिनांक 02/07/2025 द्वारा घोपित उपार्जन नीति के परिपालन में कार्यालय कलेक्ट/र जबलपुर के आदेश क्रमांक/उपार्जन/2025-26/1272 जबलपुर दिनांक 07/07/2025 के सरल क्रमांक 7 द्वारा सेवा सहकारी संस्था6 बसेड़ी का गोदाम स्त्रीय उपार्जन केन्द्‍ (5833041) 64 M.L.T.वेयर हाउस मजीठा में स्था पित किया गया था। दिनांक 07/08/2025 को कृषि विभाग के उपार्जन नोडल अधिकारी, शाखा प्रबंधक MPWLC एवं गोदाम संचालक

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सर्वेयर,सुपरवाइजर की उपस्थिति में तैयार पंचनामा के आधार पर शहपुरा तहसील स्थित उपार्जन केन्द्रद सेवा सहकारी संस्था‍ु बसेड़ी के गोदाम स्तररीय उपार्जन केन्द (5833041) 64 M.L.T. वेयर हाउस मजीठा में मूंग 3231 बोरी (1615.5 क्विं.) एवं उड़द 652 बोरी (326 क्विं.) कम पाये जाने के कारण प्रथम दृष्टतया उपार्जन कार्य में अनियमितता परिलक्षित हुई। उक्त1 अनियमितता की जांच हेतु कार्यालय कलेक्टरर के आदेश क्रमांक/उपार्जन/2025-26/2010 दिनांक 08/08/2025द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्वे शहपुरा की अध्यउक्षता में जिला स्तमरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रारंभिक जांच में ई-उपार्जन पोर्टल पर कुल 12928 क्विंटल मूंग एवं 8736 क्विंटल उड़द की ऑनलाइन खरीदी दर्ज होना पाया गया। ऑनलाइन फीडिंग के आधार पर गोदाम में भंडारित स्कंटध (मूंग एवं उड़द) का भौतिक सत्या पन करने पर मूंग 11257क्विंटल एवं उड़द 8434क्विंटल स्टे क में भंडारित पाई गई।स्टेेकि के अतिरिक्त) गोदाम में बोरियां रखी हुई पाई गई (जो स्टेेकि में नहीं लगीं) जिनमें मूंग 295 क्विंटल (590 बोरी) एवं उड़द 410.5 क्विंटल (821 बोरी) पाई गई। इस प्रकार गोदाम में कुल 11552 क्विंटल मूंग एवं 8844.5 क्विंटल उड़द पाई गई। स्टेटक एवं फर्श पर ऑनलाइन फीडिंग किये बिना रखी हुई मूंग 558क्विंटल (1116बोरी) एवं उड़द 361.5 क्विंटल (723 बोरी) रखी हुई पाई गई। प्रकरण की विस्तृखत जांच हेतु दिनांक 14 अगस्तट 2025 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्वक की उपस्थिति में श्री रवि कुमार आम्रवंशी, सहायक संचालक कृषि,श्री सखाराम निमोदा, जिला प्रबंधक MPWLC एवं NCCF के जिला प्रतिनिधि के समक्ष जिन किसानों का स्कं ध गोदाम में स्टेटक पर एवं फर्श पर भंडारित था,उन्हेंध आगामी दिवस में माल वापसी हेतु आवश्य क अभिलेख प्रस्तुीत करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 15 अगस्तु 2025 को नोडल अधिकारी कृषि, गोदाम प्रभारी, समिति प्रबंधक एवं कम्यु्‍ टर ऑपरेटर की उपस्थिति में उक्तअ किसानों के अभिलेख एवं साक्ष्यक प्रासक किये गये। सेवा सहकारी समिति बसेड़ी गोदाम 64 M.L.T. वेयर हाउस मजीठा द्वारा की गई ऑनलाइन एंट्री के आधार पर:-01.समिति द्वारा कुल 12928 क्विंटल मूंग एवं 8736 क्विंटल उड़द की ऑनलाइन एंट्री की गई। 02.ऑनलाइन फीडिंग के आधार पर गोदाम में भंडारित स्कंडध (मूंग एवं उड़द) का भौतिक सत्या्पन करने पर मूंग 11257 क्विंटल एवं उड़द 8434 क्विंटल स्टेक में भंडारित पाई गई। स्टेक के अतिरिक्त गोदाम में बोरियां रखी हुई पाई गई (जो स्टेआक में नहीं लगीं) जिनमें मूंग 295 क्विंटल (590 बोरी) एवं उड़द 410.5 क्विंटल (821 बोरी) पाई गई। इस प्रकार गोदाम में कुल 11552 क्विंटल मूंग एवं 8844.5 क्विंटल उड़द पाई गई। स्टेक एवं फर्श पर ऑनलाइन फीडिंग किये बिना रखी हुई मूंग 558 क्विंटल (1116 बोरी) एवं उड़द 361.5 क्विंटल (723 बोरी) रखी हुई पाई गई 03.किसानों का बिना ऑनलाइन फीडिंग हुआ मूंग एवं उड़द गोदाम में फर्श एवं स्टे क में भंडारित माल वापसी उपरांत मूंग के स्कंखध में कुल 1934 क्विंटल जिसकी कीमत 16790988/- रूपये एवं उड़द के स्कं ध में 253 क्विंटल जिसकी कीमत 1872200 रूपये होगी। इस प्रकार मूंग एवं उड़द में कुल स्कंाध की कमी 2187 क्विंटल जिसकी कुल राशि 18663188/- रूपये होती है। 04.दिनांक 23 अगस्तक को कार्यालय में एवं 25,26 अगस्तं को उपार्जन स्थकल 64 M.L.T. वेयर हाउस मजीठा में शिविर से प्राप्त किसानों के अभिलेखों की जांच के उपरांत मूंग के कुल 23 किसानों की 1003 क्विंटल मात्रा एवं उड़द के 5 किसानों की 125.50 क्विंटल मात्रा की ऑनलाइन एंट्री संदिग्धर प्रतीत हो रही है। 05.भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला जबलपुर द्वारा ग्राम पथरिया के 13 किसानों की सूची प्रदान की गई है, जिनके नाम पर फर्जी खरीदी दर्ज की गई है, जिनके नाम पर फर्जी पंजीयन कराकर अन्यक किसानों के खसरे जोड़कर कुल 561.50 क्विंटल मूंग की फर्जी तरीके से ऑनलाइन एंट्री की गई है। ग्रीष्मपकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन नीति 2025-26 अनुसार:-01.उपार्जन समिति प्रबंधक कमल सिंह ठाकुर पिता छोटेसिह ठाकुर निवासी ग्राम बेलखेड़ी बेलखेड़ा द्वारा प्रतिदिन किसानों से मूंग एवं उड़द का उपार्जन उपरांत स्कंाध का सुरक्षित,व्यपवस्थित भंडारण न कराया जाना, लेखा मिलान न करते हुए कम्यु्ा टर ऑपरेटर के माध्यरम से सीधे ऑनलाइन फीडिंग कराना,निर्धारित समयावधि तक खरीदी न किया जाना,किसानों को तौल पर्ची जारी न किया जाना एवं उपार्जन नीति का पालन न किये जाने के कारण उपार्जन समिति प्रबंधक अनियमितता के लिये जवाबदार हैं। 02.कम्यु्ा प टर ऑपरेटर राजपाल सिंह पिता युवराज सिह निवासी मेरेगांव बेलखेड़ा मो. 9981511073 एवं अतिरिक्तब कम्युए टर ऑपरेटर दीपेन्द्र

Scanned with OKEN Scanner

सिंह ठाकुर निवासी गुन्दरई मनकेड़ी 9753618550 द्वारा किसानों को तौल पर्ची, तौल पत्रक एवं पावती जारी न किया जाना, R2T एवं DAY CLOSURE PROTOCOL(प्रतिदिन की रिपोर्ट)में इंद्राजी न करना, बारदाना का लेखा जोखा न रखना, कैश बुक (डेली रजिस्टकर) में दैनिक एंट्री न किया जानाएवं उपार्जन नीति का पालन न किये जाने के कारण उपार्जन समिति के कम्प्यु टर ऑपरेटर अनियमितता के लिये जवाबदार हैं। 03.प्रभारी शाखा प्रबंधक जिला सह. केन्द्री य बैंक मर्या. अजय तिवारी द्वारा समिति में समस्त लजिस्टिक व्यिवस्थाख न करना, हम्मा ाली, तुलाई, भराई, टैगिंग, स्टेकन्सिल छापा आदि की विधिवत निरीक्षण न करना, उपार्जन केन्द् का लेखा एवं किसानवार खरीदी मात्रा आदि की जांच न करना, समिति प्रबंधक पर पुराना Due Amount475000/- जमा करने हेतु अनावश्य क दबाव बनाना, समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य/ व्यमक्तियों अंकित उर्फ राजशेखर,शंभु ठाकुर एवं बिन्दु राय को खरीदी में शामिल करवाना एवं अन्य सौपे गये दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण प्रभारी शाखा प्रबंधक जिला सह. केन्द्री य बैंक मर्या.अनियमितता के लिये जवाबदार हैं। 04.समिति प्रशासक एवं प्रबंधक द्वारा अनाधिकृत रूप से अंकित उर्फ राजशेखर पिता राजेश सिह ग्राम बेलखेड़ा, शंभु ठाकुर पिता संजय सिह निवासी हिनोता कटंगी एवं बिन्दु ा राय उर्फ अरविन्द राय पिता प्रीतम राय निवासी भैरोघाट घाट पिपरिया थाना बेलखेड़ा नाम के व्यपक्तियों को खरीदी में शामिल किया गया। अंकित के द्वारा समिति का Due Amount 475000/- जमा कराया गया ताकि खरीदी में शामिल हो सकें।अंकित, बिन्दुक राय एवं शंभु द्वारा गोदाम के अंदर तुलाई हेतु कट्टे काटकर फर्जी तरीके से ऑनलाइन एंट्री कराई गई। ऑनलाइन एंट्री कराये स्कंयध की भौतिक पूर्ति न करने के कारण अंकित उर्फ राजशेखर, शंभु ठाकुर एवं बिन्दु राय अनियमितता के लिये जवाबदार हैं। 05.उपार्जन केन्द्रह सर्वेयरों रोहित यादव पिता स्व बाबूलाल यादव निवासी ग्राम कोनीकला थाना पाटन 8085868434 एवं देवेन्द् यादव पिता श्री अशोक कुमार यादव ग्राम खिरहनी जिला जबलपुर 6263912077 द्वारा स्कं3ध परीक्षण उपरांत पाई गई स्थितिको सर्वेयर एप में इंद्राज न करना, बिना माल गोदाम में आएFAQ परीक्षण कर तौल पर्ची जारी करना, एवं उपार्जन नीति का पालन न किये जाने के कारणउपार्जन केन्द्र सर्वेयर अनियमितता के लिये जवाबदार हैं। 06.गोदाम संचालक आदेश तिवारी पिता स्व. मोहनलाल तिवारी ग्राम मजीठा 9826307301 द्वारा एक से अधिक किसानों का स्कं ध पाला कर पैकिंग कार्य किया जाना, किसानवार खरीदी एवं किसानवार तुलाई व पैकिंग में टैग पर किसान का नाम एवं पंजीयन क्रमांक अंकित न किये जाने के कारण वास्ताविक किसानों की पहचान संभव नहीं हुई,दिनांकवार, किसानवार स्टेंकिंग का अभिलेख न रखना, बिना ट्रक चालान (टी.सी.) प्राप्ति किये स्कंयध स्टे क में लगाया जाना,सीसीटीवी फुटेज उपलब्धे न कराये जाने के कारण गोदाम संचालक अनियमितता के लिये जवाबदार हैं। जिला स्तपरीय जांच दल द्वारा की गई जांच के आधार पर पाया गया कि समिति प्रबंधक कमल सिंह ठाकुर, कम्प्युेकि टर ऑपरेटर राजपाल सिंह एवं अतिरिक्तच ऑपरेटर दीपेन्दे सिंह ठाकुर,प्रभारी शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्री य बैंक मर्यादित शहपुरा शाखा श्री अजय तिवारी,अंकित सिंह उर्फ राजशेखर,शंभुठाकुर, बिन्दुखराय,सर्वेयर रोहित यादव एवं देवेन्द्र यादव तथा एमएलटी वेयरहाउस मजीठा के संचालक आदेश तिवारी द्वारा किसानो एवं प्रशासन को आर्थिक क्षति पहुचाने के आशय से षडयंत्र पूर्वक योजना बनाकर अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मूंग की 1934 क्विंटल की राशि 16790988/-रूपये एवं उड़द की 253 क्विंटल मात्रा जिसकी राशि 1872200/-रूपये कुल मूंग एवं उड़द में 2187 क्विंटल कुल राशि 18663188/-रूपये की छलपूर्वक कूट रचना करने व कूट रचित दस्तावेजो एवं कूट रचित दस्तावेजो का प्रयोग अपने स्वंय के लाभ के लिये किये जाने का प्रयास करना पाया गया आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ आरोपीगणो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावे हस्ताक्षर प्रार्थी रवि कुमार आम्रवंशी A.D.A. For Dy. Direcytor of Agril. Jabalpur दि.07.09.25 प्रतिवेदन से प्रथम दृष्टया आरोपीगणो द्वारा धारा 318(4),336(3),338,61(2) वीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |)
or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): KAMLESH CHOURIA(I (Inspector)) /

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
No.(सं.):
Rank (पद):

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

7.9.25

FIR Writer (कार्यमीकर्ता के हस्ताक्षर)
Name (नाम): KAMLESH CHOURIA
INSPECTOR
Rank (पद): Mo. 9425026952

Scanned with OKEN Scanner

A.D.A. 7.9.25
For Dy. Director of Agril.
Jabalpur

7.9.25

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):KAMLESH CHOURIA
Rank(पद):I (Inspector)
No.(सं.):

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
3	पुरुष					
4	पुरुष					

Scanned with OKEN Scanner